

0:- 16/2023

तारीखरजु:-13-3-23

उनवान:- ओभी बनाम शेरसिंह  
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

फर्द अहकाम

क  
3  
23

प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 29.03.2023 को पेश हो

1032-37  
13/3/23

(गौरव कुमार मित्तल)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

313 पत्रावली पेश हुई। श्रीमत् जिला कलक्टर महोदय  
23 करौली के आदेशानुसार अवकाश होने के कारण  
पत्रावली आज पेश हुई। वकील उन्मय पञ्जकारण  
उपस्थित। पो साहब अफसर पर पधार है वास्ते  
अग्रिम आदेश दिनांक 5.4.2023 को पेश हो

54 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी  
23 नं 1, 3 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडव ने  
वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे।  
एवं अप्रार्थी नं 2, 4 के नोटिस तामील स्कं व पुत्र  
के द्वारा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। एवं अप्रार्थी नं  
5, 6 के नोटिस तामील कार्मिक के द्वारा होने की रिपोर्ट  
प्राप्त हुई। फेरकार सरकार उपस्थित। पो साहब करौली  
मिथिया मे पधार है वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 11.4.23  
को पेश हो

124 राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.4.23 का अवकाश  
23 घोषित करने के कारण पत्रावली आज पेश हुई।  
वकील पञ्जकारण उपस्थित अप्रार्थी नं 2 की तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
10.10.25	अवकाश होने के कारण
13.10.25	पञ्जावली पेय डर्ग वलीय उमय प.स.कारण उप. वाले कायम मुकाम दर दिनांक 21.12.25 को पेय हो।
21.12.25	<p>पञ्जावली पेय डर्ग प्राचीन एवं पुराना वलीय कोर्ष उपदिष्ट नहीं, एर-2 भाग्य दिवारा गरी इसके वावपद भी कोर्ष उपदिष्ट नहीं, इसके प्राचीन का प्राचीन पत्र अन्तर्गत गरी 212 अफसी निषेवाय अन्तर्पेकी अन्तर्पेकी छपिरी में अन्तर्पेकी लिये जाता है। पञ्जावली पेयव अन्तर्पेकी डेकर नम्बरने का कर शब्दिय अफतर हो</p> <p>डा.</p>

100